विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L0031113</u>

मेसर्स के.के. इंटरप्राईजेस,
प्रोपा. श्रीमती कांति कैलाशचंद्र जायसवाल, — आवेदक
ग्राम खालखुर्द निमरानी,
तह. कसरावद, जिला – खरगोन (म.प्र.)
पिन कोड – 451659

विरूद्ध

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.) – 452015

— अनावेदकगण

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
मण्डलेश्वर, तह. कसरावद,
जिला – खरगोन (म.प्र.)
पिन कोड – 451221

आवेदक की ओर से श्री आर.एस. गोयल तथा श्री सोमानी उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

आदेश
(दिनांक 26.10.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) की शिकायत क्रमांक W0246713 मेसर्स के.के. इंटरप्राईजेस विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 27.02.2013 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उपभोक्ता का औद्योगिक कनेक्शन है तथा उसके परिसर में लगे हुए मीटर की एम.डी. मैनुअल रीसेट की जाती है । दिनांक 01.02.08 से 12.07.12 तक मीटर की एम.डी. को रीसेट नहीं किया गया था, दिनांक 13.07.12 को उसे रीसेट किया गया । दिनांक

01.02.08 से 13.07.12 तक एम.डी. रीसेट न होने के कारण उपभोक्ता की बिलिंग कम हुई थी । अतः एम. डी. रीसेट करने के बाद यह पाया गया कि उपभोक्ता का एवरेज पॉवर फैक्टर 0.67 से कम है, अतः उपभोक्ता से टैरिफ अनुसार इनर्जी चार्जेज के 10 प्रतिशत की राशि की पैनल्टी ली गई ।

3. फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि दिनांक 01.02.08 से 13.07.12 तक संयोजन का औसत पॉवर फैक्टर कम होने से उपभोक्ता के विरूद्ध जो राशि निर्धारित की गई है वह युक्ति–युक्त है, क्योंकि उपभोक्ता के संयोजन का औसत पॉवर फैक्टर निर्धारित पॉवर फैक्टर से कम था ।

4. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के नियम बनाए गए हैं । उक्त संहिता की धारा 2.1 में पॉवर फैक्टर को परिभाषित किया गया है । उक्त परिभाषा का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि पॉवर फैक्टर से तात्पर्य औसत मासिक पॉवर फैक्टर से होता है । तत्कालीन टैरिफ आदेश के अनुसार यदि उपभोक्ता के द्वारा उपयोग किए गए विद्युत ऊर्जा का औसत मासिक पॉवर फैक्टर कम हो तो उससे शास्ती (पैनल्टी) वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं । इस मामलें में उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर का औसत मासिक पॉवर फैक्टर 01.02.08 से 13.07.12 तक नहीं लिया गया, ऐसी स्थिति में दिनांक 13.07.12 को मीटर की एम.डी. रीसेट करने के बाद जो पॉवर फैक्टर लिया गया था उसके आधार पर उपभोक्ता को दिनांक 01.02.08 से 13.07.12 तक की अवधि के लिए औसत मासिक पॉवर फैक्टर कम होने का निष्कर्ष दिया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

5. विधि के प्रावधानों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पॉवर फैक्टर की संगणना मासिक आधार पर की जाना चाहिए और यदि विद्युत वितरण कम्पनी के उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा किसी परिसर में स्थापित मीटर में मासिक पॉवर फैक्टर की संगणना नहीं की गई है तो कई महीनों बाद लिए गए पॉवर फैक्टर के आधार पर पिछले माह के पॉवर फैक्टर के औसत की संगणना नहीं की जा सकती है । जिस महीनें पॉवर फैक्टर लिया गया है उसी महीनें के लिए उस पॉवर फैक्टर का उपयोग किया जा सकता है ।

6. इस मामले में फोरम द्वारा औसत पॉवर फैक्टर कम होने का जो निष्कर्ष दिया गया है वह विधिसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पॉवर फैक्टर से आशय औसत पॉवर फैक्टर से न होकर औसत मासिक पॉवर फैक्टर से है, अतः फोरम का प्रश्नगत् आदेश विधिसंगत न पाए जाने से निरस्त किया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी औसत पॉवर फैक्टर कम होने के आधार पर उपभोक्ता से प्रश्नगत् राशि वसूल पाने की अधिकारी नहीं है । यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि उपभोक्ता द्वारा इस प्रयोजन हेतु कोई राशि जमा की गई हो तो वह राशि उसे 2 माह के अन्दर वापस की जाए अथवा आगे आने वाले देयकों में उसका समायोजन किया जावे ।

6. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल